रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94

REGD. NO. D.L.-33004/94

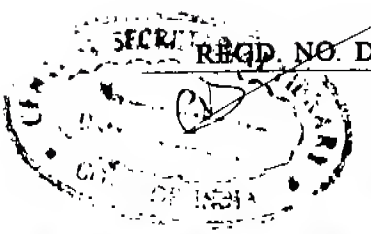

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 67] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 8, 1994/माघ 19, 1915
No. 67] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 8, 1994/MAGHA 19, 1915

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना सं.-27(आर ई)/92-97

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1994

का.आ. 156(अ):—विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (सं. 1992का 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 222(अ) दिनांक 31 मार्च, 1993 के अन्तर्गत प्रकाशित निर्यात-आयात नीति, 1992-97 (संशोधित संस्करण मार्च, 1993) में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः —

(1) अध्याय 7 में पैराग्राफ 66 के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जायेगा :—

"66. लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा इस स्कीम के अन्तर्गत कोई आवेदन प्राप्त करने की तारीख से किये गये निर्यात आपूर्ति को निर्यात आधार के निष्पादन के रूप में स्वीकार किया जा सकता है । यदि आवेदन अनुमोदित हों तो मानदण्ड के बारे में कोई संशोधन अधिसूचित होने तक पहले से किये गये अस्थायी निर्यातों के अनुपात में लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त करने की तारीख को लागू निवेश उत्पादन और मूल्य संयोजन मानदण्डों के आधार पर लाइसेंस जारी किया जायेगा। शेष निर्यातों के लिये लाइसेंस जारी करने की तारीख को प्रभावी नीति प्रक्रिया लागू होगी । लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा आवेदन अस्वीकृत या संशोधित कर दिये जाने की स्थिति में सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा शुल्क मुक्त पोत-परिवहन बिलों को शुल्क वापसी पोत परिवहन बिलों में परिवर्तित करने की भी अनुमति दी जा सकती है । शुल्क मुक्त लाइसेंस मंजूर होने की प्रत्याशा में निर्यात/संभरण पूर्णतया जोखिम पर किये जायेंगे और यह निर्यातक की जिम्मेवारी है तथा ऐसे निर्यात संभरण नीति के पैराग्राफ 67 तथा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-I) के पैराग्राफ 126 में निर्धारित शर्तों के भी अध्यधीन होंगे।"

(2) अध्याय-7 में पैराग्राफ 67 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

"67. मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस अथवा उसके मद्दे आयात की गई सामग्री निर्यात आभार को पूरा करने, निर्यात से आय की वसूली करने और बैंक

गारंटी/वचन पत्र की विमुक्ति हो जाने के बाद ही मुक्त रूप से हस्तांतरणीय होगी । निर्यात आभार उस सामान का निर्यात करके पूरा किया जाना चाहिये। जिसके संबंध में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 191क अथवा 191ख या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के नियम 56क अथवा 57क के अन्तर्गत निवेश स्तर ऋण का निर्यात उत्पादों के निर्माण में प्रयुक्त किसी भी निवेश के संबंध में लाभ न उठाया गया हो। मात्रा आधारित अग्रिम लाइसेंस (इंटरमीडिएट अग्रिम लाइसेंस और विशेष अग्रदाय लाइसेंस को छोड़कर) या इसके बदले आयात की गई सामग्री निर्यात आभार को पूरा करने, निर्यात से आय की वसूली और बैंक गारंटी/एलयूटी की विमुक्ति के बाद ही मुक्त रूप से हस्तांतरणीय होगी । यह सुविधा उन निवेशों के लिये उपलब्ध नहीं होगी जिनके लिये केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 56क अथवा नियम 57क के अन्तर्गत निवेश स्तर ऋण का लाभ उठाया गया हो। निर्यात आभार उस सामान का निर्यात करके पूरा किया जाना चाहिये जिसके संबंध में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 191क और 191ख का उक्त लाइसेंस के अन्तर्गत अनुमित निवेश के संबंध में लाभ न उठाया गया हो।

उन मामलों में जहां शुल्क मुक्त लाइसेंस की पुनर्बंध किया गया है हस्तांतरण की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

2. यह लोकहित में जारी किया गया है।

[फाइल सं. 3/339/92-ईपीसी]

डा. पी.एल. संजीव रेड्डी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION NO. 27(38)/92—97

New Delhi, the 8th February, 1994

S.O. 156(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 No. (22 of 1992), the Central Government hereby makes the following amendments in the Export and Import Policy, 1992—97 (Revised Edition : March, 1993) published under the Notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 222(E) dated the 31st March 1993, namely :—

(i) In Chapter VII, the poragraph 66 shall be substituted by the following :—

"66. Export/supplies made from the date of receipt of an application under this scheme by the licensing authority may be accepted towards discharge of export obligation. If the application is approved, the licence shall be issued based on the input output and value addition norms in force on the date of receipt of application by the Licensing Authority in proportion to the provisional exports already made till any amendment in the norm is notified. For rest of the exports the Policy/Procedure in force on the date of issue of the licence shall be applicable. The conversion of duty free shipping bills to drawback shipping bills may also be permitted by the Customs authorities in case the application is rejected or modified by the licensing authority. The exports/supplies made in anticipation of the grant of a duty free licence shall be entirely on the risk and responsibility of the exporter and such exports/supplies shall also be subject to the conditions laid down in paragraph 67 of the Policy and paragraph 126 of the Handbook of Procedure (Vol. I)."

(ii) In Chapter VII, the paragraph 67 shall be substituted by the following :—

"67. A Value Based Advance Licence or the materials imported against it may be freely transferable after the export obligation has been fulfilled. export proceeds realised and the Bank Guarantee/LUT redemed. The export obligation should have been discharged by exporting goods in respect of which benefit of Rule 191A or 191B of the Central Excise Rules, 1944 or input stage credit under rule 56A or rule 57A of the Central Excise Rules has not been availed of in respect of any of the inputs used in the manufacture of export products.

A Quantity Based Advance Licence (except Intermediate Advance Licence and a Special Imprest Licence) or the material imported against it may be freely transferable after the export obligation has been fulfilled, export proceeds realised, and the Bank Guarantee/LUT redeemed. This facility shall not be available in respect of inputs for which input stage credit under rule 56A or rule 57A of the Central Excise Rules, 1944 has been availed of Export obligation should have been discharged by exporting goods in respect of which benefit of rule 191A or 191B of the Central Excise Rules, 1944 has not been availed in respect of inputs permitted under the said licence.

The facility of transferability shall not be available in cases where the duty free licence has been revalidated."

2. This issues in public interest.

[File No. 3/339/92-EPC]

DR. P. L. SANJEEV REDDY, Director General of Foreign Trade & Ex-Officio Additional Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994